रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19—मई 25, 2018 (वैशाख 29, 1940)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19—MAY 25, 2018 (VAISAKHA 29, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	281
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	305
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	9
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	675
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	899
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	1879
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	889
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	281
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	305
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........	9
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	675
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	899
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1879
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	889
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 मई, 2018

फा. सं. 11019/09/2018-पीएमए.—गृह मंत्री केन्द्रीय अन्वेषण एजेंसियों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों तथा जांच एजेंसियों को अन्वेषण में उत्कृष्ट सेवा के सम्मानस्वरूप प्रदान किए जाने वाले "अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृहमंत्री पदक" प्रारंभ करने तथा इन पदकों को शासित करने वाली निम्नलिखित संविधियों को तैयार करने, उनका विधान एवं उनकी स्थापना करने की घोषणा करते हैं जो अधिसूचना में उनकी तारीख से प्रभावी मानी जाएंगी।

अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री पदक:

प्रथमतया:- पुरस्कार पदक के रूप में होंगे तथा उन्हें "अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री पदक" (जिसे इसमें इसके पश्चात पदक कहा गया है) का नाम दिया जाएगा।

द्वितीय:- पदक गोल आकार का होगा और कॉपर-निकल से बना होगा जिसका व्यास 38 मि.मी. तथा मोटाई 3 मि.मी. होगी। इसके अग्र भाग पर बीचों-बीच राज्य संप्रतीक उत्कीर्ण होगा। राज्य संप्रतीक के नीचे "सत्यमेव जयते" शब्द उत्कीर्ण होंगे। राज्य संप्रतीक के चारों ओर फूलों की माला का छल्ला बना होगा। पदक के पृष्ठ भाग पर निम्नानुसार यह लिखा होगा:

ऊपरी अर्ध गोलाकार: "अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री पदक"

निचला अर्ध गोलाकार: "Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation"

मध्य में: एक "तराजु" जो (कानून एवं न्याय का द्योतक है) तथा एक "आवर्धक लेंस" (अन्वेषण प्रक्रिया का प्रतीक) होगा।

तृतीय:- प्रत्येक पदक 38 मि.मी. लम्बी स्थिर क्षैतिज छड़ से लगता होगा जिस पर "Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation" लिखा होगा और इसमें निम्नानुसार दो पट्टियों वाला 35 मि.मी. चौड़ा फीता डला होगा:

Wearer's normal right: Red (17.5 mm)

Wearer's normal left: Blue (17.5 mm)

चतुर्थ:- पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा ऐसे नामों संबंधी रजिस्टर गृह मंत्रालय अथवा बीपीआर एंड डी में केन्द्रीय गृह मंत्री/महानिदेशक, बीपीआर एंड डी द्वारा निर्देशित व्यक्ति के पास उपलब्ध होंगे।

पंचम: पदक केवल उन्हीं रैंकों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है।

षष्ठम:- केन्द्रीय गृह मंत्री किसी भी व्यक्ति को पदक प्रदान किए जाने को निरस्त करने अथवा रद्द करने के लिए सक्षम होंगे और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और पदक जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, केन्द्रीय गृह मंत्री को इस प्रकार जब्त किए गए पदक को व्यक्ति को वापस करने का अधिकार होगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, जिसे यह पदक प्रदान किया गया है को इसे प्राप्त करने से पूर्व एक अनुबंध करना होगा कि यदि उसका नाम उपर्युक्त ढंग से हटा दिया जाता है तो वह पदक लौटा देगा। प्रत्येक मामले में पदक को रद्द किए जाने अथवा उसे बहाल किए जाने की सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

सप्तम: इन संविधियों के उद्देश्य को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय को होगा।

"अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृहमंत्री पदक" से संबंधित उपर्युक्त संविधियों के अनुसरण में पदक प्रदान किए जाने संबंधी निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं:-

1. प्रति वर्ष पात्र अधिकारियों को 162 से अनधिक पदक प्रदान किए जाएंगे। पहले 3 वर्षों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पदकों के वितरण की गणना उनके द्वारा दर्ज किए गए आईपीसी अपराधों के औसत तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2013,

2014 और 2015 के लिए प्रकाशित अपराध संबंधी डेटा के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक तीन वर्ष के उपरांत पदकों के वितरण की समीक्षा की जाएगी।

2. पदक निम्नलिखित ढंग से आबंटित किए जाएंगे:-

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 137 पदक

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण एजेंसियों को 25 पदक

इन नियमों के तहत निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार कोटा निर्धारित किया जा सकता है।

3. महिला जांच अधिकारियों को निम्नानुसार पदक आबंटित किए जाएंगे:

(क) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनका कुल कोटा 01 है, द्वारा एकांतर वर्ष में महिला जांच अधिकारी को अवश्य नामित किया जाना चाहिए।

(ख) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनका कुल कोटा 02-05 है, द्वारा प्रति वर्ष कम से कम एक महिला जांच अधिकारी अवश्य नामित की जानी चाहिए।

(ग) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनका कुल कोटा 06-09 से अधिक है, द्वारा प्रति वर्ष जांच में शामिल कम से कम 02 महिला पुलिस अधिकारी अवश्य नामित की जानी चाहिए।

(घ) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनका कुल कोटा 10 या अधिक है, द्वारा प्रति वर्ष जांच में शामिल कम से कम 03 महिला पुलिस अधिकारी अवश्य नामित की जानी चाहिए।

4. पदक की अनुशंसा करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:-

(क) उप निरीक्षक से पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारी पात्र होंगे। नामांकन निर्धारित प्रपत्र में अग्रेषित किया जाएगा।

(ख) अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से पाक साफ होने चाहिए। उनके विरुद्ध कोई भी न्यायिक कार्रवाई/विभागीय जांच का इरादा, जांच प्रारंभ अथवा लंबित नहीं होनी चाहिए। पदक के लिए अनुशंसित व्यक्ति किसी अपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए या विगत पांच वर्षों के दौरान किसी विभागीय जांच में उस पर कोई बड़ी/गौण शास्ति न लगाई गई हो। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस अथवा केन्द्रीय पुलिस अन्वेषण एजेंसियों द्वारा इस संबंध में एक प्रमाण पत्र मुहैया करवाया जाना चाहिए।

(ग) विगत पांच वर्षों की एपीएआर (एसीआर) की ग्रेडिंग में से नामित व्यक्ति की न्यूनतम तीन एसीआर उत्कृष्ट/बहुत अच्छी होनी चाहिए। विगत पांच वर्षों के दौरान उसकी एसीआर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए।

(घ) नामित अधिकारी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में न्यायालय की ओर से कोई निंदा अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

(ड.) किसी ऐसे अधिकारी, जिसे यह पदक प्राप्त हो चुका है, को यह पदक पुन: प्रदान नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सिफारिश के साथ एक प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जाना चाहिए।

(च) संस्तुत अधिकारी द्वारा जांच किए जा रहे मामले का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य विवरणों जैसे कि अभिनव तरीकों का प्रयोग, त्वरित आरोप पत्र, अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की, दोषसिद्धि, वैज्ञानिक तरीकों एवं विधि विज्ञान संबंधी उपकरणों का उपयोग, ऑन लाइन जांच उपकरण, मीडिया कवरेज, पेपर कटिंग इत्यादि संबंधी विवरण का संक्षिप्त उल्लेख प्रशस्ति पत्र में किया जाना चाहिए। प्रशस्ति पत्र 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

5. पदक प्रदान किए जाने के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए नीचे दिए गए विवरणानुसार एक त्रि-स्तरीय जांच प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

(क) केन्द्रीय एजेंसी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की समिति:

केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य स्तर पर निम्नलिखित समिति सिफारिशें करेगी:

(I) प्रत्येक केन्द्रीय एजेंसी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस में एक समिति होगी जिसका गठन केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी के निदेशकों या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस के डीजीपी द्वारा किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और एडीजी रैंक के अधिकारी अध्यक्ष के रूप में और न्यूनतम तीन आईजी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे।

(II) यह समिति पदकों के केन्द्रीय/राज्य अन्वेषण एजेंसी कोटा हेतु बीपीआर एंड डी को अभ्यर्थियों की संख्या से दोगुने अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करेगी।

(III) बीपीआर एंड डी स्तरीय समिति को निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित किए जाएंगे:

(i) वरीयता क्रम में तैयार की गई नामांकित व्यक्तियों की सूची सहित बोर्ड की कार्यवाही।

(ii) ऐसे अधिकारी, जिसके नाम की पदक के लिए सिफारिश की गई है, का प्रशस्ति पत्र/उसके द्वारा जांच किए गए मामले का विवरण।

(iii) विगत पांच वर्षों की सतर्कता अनापत्ति एवं एपीएआर ग्रेडिंग।

(ख) बीपीआर एंड डी स्तरीय जांच समिति:

बीपीआर एंड डी स्तरीय निम्नलिखित समिति सिफारिश करेगी:-

(I) महानिदेशक, बीपीआर एंड डी: अध्यक्ष

(II) बारी-बारी से किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से क्राइम ब्रांच के प्रभारी एक महानिरीक्षक/सहायक महानिदेशक/महानिदेशक/संयुक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम)/अपर पुलिस आयुक्त (क्राइम) (बीपीआर एंड डी द्वारा नामित किया जाएगा।

(III) महानिदेशक, बीपीआर एंड डी द्वारा एक स्थाई प्रतिनिधि/सदस्य को आसूचना ब्यूरो एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से नामित किया जाएगा, जो महानिरीक्षक के रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए।

(IV) महानिदेशक, बीपीआर एंड डी द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अथवा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो से बारी-बारी आधार पर एक प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा, जो महानिरीक्षक के रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए।

(V) गृह मंत्रालय से संयुक्त सचिव।

(VI) बीपीआर एंड डी से एक सहायक महानिदेशक/महानिरीक्षक- सदस्य सचिव

महानिदेशक, बीपीआर एंड डी को नामांकित व्यक्तियों के अंतिम चयन के लिए प्राप्त नामांकनों की छंटनी करने के लिए उप समितियां नियुक्त करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।

(ग) मंत्रालय स्तरीय सिफारिश समिति:

गृह मंत्रालय में निम्नलिखित समिति अंतिम संस्तुतियां करेगी:-

(I) मंत्रालय के पुलिस-1 प्रभाग में प्रभारी विशेष सचिव/अपर सचिव-अध्यक्ष

(II) महानिदेशक, बीपीआर एंड डी एवं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

(III) एसडी/एडी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं आसूचना ब्यूरो

(IV) बारी-बारी आधार पर दो राज्यों के महानिदेशक

(V) संयुक्त सचिव (पुलिस-I), गृह मंत्रालय

6. मंत्रालय स्तर की समिति द्वारा की गई सिफारिश को केन्द्रीय गृह मंत्री के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

7. प्रत्येक विजेता को पदक सहित केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र (सक्रोल) प्रदान किया जाएगा।

8. केन्द्रीय गृह मंत्री इस पदक को उस स्थिति में वापस ले सकते हैं यदि पदक धारक को सेवा से बर्खास्त किया गया हो, हटाया गया हो, उसके विरुद्ध कोई बड़ी शास्ति लगाई गई हो अथवा वह अपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया हो अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की राय में उसका आचरण पुलिस अधिकारी के लिए अशोभनीय पाया जाए।

9. इन नियमों को प्रवृत्त करने के लिए मंत्रालय मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्धारण कर सकता है।

10. पदक प्रदान किए जाने के संबंध में किसी प्रकार के विवाद अथवा शिकायत की स्थिति में केन्द्रीय गृह मंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

एस. सी. एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th May, 2018

F.No.11019/09/2018-PMA.–The Home Minister is pleased to institute the "Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation" to be conferred on members of Central Investigating Agencies, States/UTs Police Force and Investigating Agencies in recognition of the outstanding service in investigation and to make, ordain and establish the following statutes governing them, which shall be deemed to have effect from the date of their notification.

UNION HOME MINISTER'S MEDAL FOR EXCELLENCE IN INVESTIGATION:

Firstly:- The award shall be in the form of a Medal styled and designated as "Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation" (hereinafter referred to as Medal).

Secondly :- The Medal shall be circular in shape, made of cupro-nickel, 38 mm in diameter, 3 mm in thickness. On the obverse it shall have embossed the State Emblem in centre. The word "सत्यमेव जयते" shall be embossed below the State Emblem. The State Emblem shall be encircled by a wreath. On the reverse, the legend will be as under:

Top half semi-circle : "अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृहमंत्री पदक"

Bottom half semi-circle : "Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation"

Centre : A "Scale" "तराजु" (Signifying law and justice) and a "magnifying glass" (to symbolize investigation procedure).

Thirdly :- Each Medal shall be suspended by 38 mm long horizontal non swiveling bar with inscription "Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation" with a ribbon of 35 mm width with 2 strips as under:

Wearer's normal right: Red (17.5 mm)

Wearer's normal left: Blue (17.5 mm)

Fourthly :- The names of awardees shall be published in the Gazette of India and the Register of such names will be kept in the Ministry of Home Affairs or BPR&D by such person as the Union Home Ministry/DG, BPR&D will direct.

Fifthly: - The Medal shall only be awarded to those ranks who have shown outstanding performance in investigation.

Sixthly: - It shall be competent for the Union Home Minister to cancel and annul the award of the Medal to any person, whereupon his name in the Register shall be erased and the Medal shall stand forfeited. It shall, however, be competent for the Union Home Minister to restore any Medal, which may have been so forfeited, to the person. Every person to whom the said Medal is awarded shall, before receiving the same, enter into an agreement to return the Medal if his name is erased as aforesaid. Notice of cancellation or restoration in every case shall be published in the Gazette of India.

Seventhly:- It shall be competent for the Ministry of Home Affairs to make rules to carry out the purpose of these Statutes.

In accordance with above Statutes relating to the "UNION HOME MINISTER'S MEDAL FOR EXCELLENCE IN INVESTIGATION", following Rules governing the award of the Medal are notified:-

1. Every year, not more than 162 Medals will be awarded to the eligible officials. The distribution of Medals among the States/UTs for the first three years will be calculated on the basis of average of IPC crimes registered by them and the crime data published by National Crime Record Bureau for the years 2013, 2014 and 2015. The distribution of Medals will be reviewed after every 3 years.
2. The Medals will be allocated in the following manner :-
   (a) 137 Medals to State/Union Territories (UTs)
   (b) 25 Medal to Central Investigation Agencies

   The State/UT wise quota may be prescribed in the Standard Operating Procedure (SOPs) made under these Rules.

3. Medals for women investigating officers will be allocated as under:
   (a) States/UTs having total quota of 01, must nominate lady investigating officer in alternate years.
   (b) States/UTs having total quota of 02-05, must nominate at least one women police investigating officer, every year.
   (c) States/UTs having total quota of more than 06-09, must nominate at least 02 women police officers involved in investigation, every year.
   (d) States/UTs having total quota of 10 or more must nominate at least 3 women police officers involved in investigation, every year.

4. Eligibility criteria for recommendation of the award are as under :-
   (a) Officers from the rank of Sub Inspector to Superintendent of Police are eligible. The nomination will be forwarded in the prescribed proforma.
   (b) Officer should be clear from vigilance point of view. No judicial proceedings/departmental enquiry should have been contemplated, initiated or should be pending. The recommendee should not have been convicted in a criminal case or awarded a major/minor penalty in any departmental enquiry in the last five years. A certificate to this effect should be furnished by the concerned States/UTs Police or Central Police Investigating agencies.
   (c) Out of last 5 years Annual Performance Assessment Report (APAR) grading of nominee, minimum 3 should be Outstanding/Very Good. There should not be any adverse entry in the last five years.
   (d) There should not be any stricture or adverse comment in a Court of law in a case investigated by the nominated officer.
   (e) An officer who has received the Medal once may not be awarded the Medal again. In this regard, a certificate also be furnished alongwith the recommendation.
   (f) A brief of the case investigated by the officer recommended must be mentioned in the citation alongwith other details like use of innovative methods, prompt charge sheet, attachment of assets of accused, conviction, use of scientific aids and forensic tools, on-line investigation tools, media coverage, paper cutting etc. Citation should not exceed 200 words.
5. A three tier screening procedure will be followed for selection of the candidates for the Medal, as detailed below:
   (a) Central Agency/State/UT level Committee:-

   Following Committee at Central/State/UT level will make recommendation:-

   (I) There will be a Committee in each Central Agency and State/UT Police, to be constituted by Directors of Central Investigation Agency or DGP of State/UT Police, as the case may be, with ADG rank officers as Chairperson and not less than three IG rank officers.
   (II) This Committee will recommend twice the number of candidates for Central/State Investigating Agency quota of Medals to BPR&D.
   (III) Following documents will be forwarded to BPR&D level Committee:
   (i) Board proceeding with the list of nominees prepared in order of merit.
   (ii) Citation/details of the case investigated by the officer for whom the Medal is recommended.
   (iii) Vigilance clearance and APAR grading for last 05 years

   (b) Bureau of Police Research & Development (BPR&D) level Screening Committee:

   Following Committee at BPR&D level will make recommendation:-

   (i) DG BPR&D: Chairperson.
   (ii) One DG/ADG/IG/JCP(Crime)/Addl.CP(Crime) In-charge of Crime Branch from any State/UTs by rotation (to be nominated by BPR&D).
   (iii) One permanent representative/member each from Intelligence Bureau(IB) and Central Bureau of Investigation(CBI), not below the rank of IG, to be nominated by DG, BPR&D.
   (iv) One representative from National Investigation Agency(NIA) or Narcotics Control Bureau(NCB), not below the rank of IG, by rotation basis to be nominated by DG, BPR&D.
   (v) Joint Secretary from MHA.
   (vi) One ADG/IG from BPR&D- Member Secretary

   DG, BPR&D will have the authority to appoint Sub-Committees to scrutinize nominations received for final selection of the nominees.

   (c) Ministry level recommending Committee:

   Following Committee in the Ministry of Home Affairs will make the final recommendations:-

   (i) Special Secretary(SS)/Additional Secretary(AS), in-charge of Police-I Division/in Ministry-Chairperson
   (ii) Director General, BPR&D and NIA
   (iii) Special Director (SD)/Additional Director(AD), CBI and IB
   (iv) Director General of Police from two States on rotation basis
   (v) Joint Secretary(Police-I), MHA

6. The recommendation made by the Ministry level Committee will be submitted to the Union Home Minister for his consideration and approval.
7. A Certificate (Scroll) signed by the Union Home Minister will be awarded to each winner along with the Medal.
8. The Union Home Minister is competent to withdraw the Medal if the holder is punished with dismissal, removal, major penalty or is found involved in criminal offence or is found indulging in conduct unbecoming of Police officer in the opinion of the Government of the State or the Union.
9. The Ministry may lay down standard operating procedure (SOP) for giving effect to these Rules.
10. In case of any dispute or complaint arising in connection with the award of the Medal, the decision of the Union Home Minister shall be final

S. C. L. DAS

Joint. Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.21 15:51:11 +05'30'